

आयालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.- 93 / 2018

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक-5.12.18

सरकार बनाम कैलाश वगै०
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृत्तांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नागल पण्डितपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत् 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 307/47.16 है० किस्म जमीन गैर मु० नदी में कैलाश, बनवारी, माना पुत्रान हीरा जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 0.01 है० पर बॉरिंग कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायलानों को बार- बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर-सायलान उपस्थित नहीं आये एवं ना ही किसी प्रकार का जवाब प्रेषित किया गया। इसलिए गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः गैर सायलान कैलाश, बनवारी, माना पुत्रान हीरा जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख० न० 307/47.16 है० किस्म जमीन गैर मु० नदी में से 0.01 है० पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बॉरिंग को धवस्त करते हुये गैरसायलान को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं बिजली विभाग को अगर विद्युत कनेक्शन पाया जावे तो कनेक्शन विच्छेद करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.11 का पचास गुणा 6 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार, बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वव 20018 019 के रा० क्र० 4
के पृष्ठ संख्या 06 पर 11
6 हवये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)